131

न्यायालय : राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक /I/2016 निगरानी नि.ग - 1131 - I-16

निशा पत्नी गोपाल स्वरूप जाति ब्राम्हण
निवासी कराहल तहसील कराहल
जिला श्योपुर म.प्र.

..............निगरानीकर्ता

बनाम

1—ब्रजमोहन चौधरी,
प्रभारी प्राचार्य आई.टी.आई. कराहल
2—एस.एस.चौकसे—परियोजना यंत्री
पी.आई.यू.(P.W.D.) कराहल
3—तरूण कुमार सक्सैना
सहायक परियोजना यंत्री, कराहल
तह.कराहल जिला श्योपुर म.प्र.
4—मध्यप्रदेश शासन

...............गैरनिगरानीकर्तागण

पंजी क्र. 1160
दिनांक 2-4-16

कृष्णसुनीता अग्रवाल
शपथ आयुक्त
श्योपुर (म.प्र.)

श्री वीरसिंह जादौन
अधि. उपस्थित
6-4-16

<u>निगरानी विरूद्व न्यायालय श्रीमान जिलाधीश महोदय श्योपुर के प्र.कं. 24/13—14/अ—19(3) आदेश दिनांक 01.03.14 के विरूद्व निगरानी म.प्र.भू.राजस्व संहिता की धारा—50 के अंतर्गत।</u>

माननीय न्यायालय,

आवेदिका की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः—

<u>निगरानी का संक्षिप्त में विवरण :—</u>

यह कि कस्बा कराहल में स्थित भूमि सर्वे नम्बर 1412 रकबा 159 बीघा 8 बिस्वा में से आवेदिका का 9 बीघा भूमि पर कब्जा था और कब्जे के आधार पर ही उसको 9 बीघा भूमि पर तहसीलदार महोदय के समक्ष व्यवस्थापन बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसे न्यायालय के प्र.कं. 11/76—77/अ—19 पर दर्ज करते हुऐ आवेदिका को विधिवत पट्टा प्रदान किया गया। और उसी समय से निरंतर काबिज होकर आवेदिका खेती करती आ रही है। उसने व उसके परिवार के सदस्यों द्वारा मेहनत व धन खर्च करके उक्त भूमि को कृषि योग्य बनाया है और वर्तमान में आवेदिका की फसल खडी हुई है। उसके बावजूद भी श्रीमान कलेक्टर महोदय श्योपुर द्वारा अपने न्यायालयीन प्र.कं. 24/13—14/अ—19 (3) से दिनांक 01.03.14 को उक्त भूमि तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के लिये आई.टी.आई.

कमंशः.............2

R. 1131-I/16 ([illegible])

16.11.16.

आवेदक की ओर से [illegible] परन्तु [illegible] प्रकार [illegible] प्रस्तुत आवेदन [illegible] है। [illegible] स्पष्ट [illegible] आदेश [illegible] आवेदक के द्वारा प्रस्तुत [illegible] प्रमाणित [illegible] आवेदक [illegible] प्रकरण [illegible] आवेदन का [illegible] के कारण [illegible] किया जाता है। [illegible] प्रकरण [illegible] हो।

[illegible] 16.11